



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम,
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्र सं- 2823 / नि0प्रा0 139 / 2014-15 / वा0नि0-5 /

दिनांक- 03/11/2015

आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

✓ प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन प्रा0लि0,
साउथ हटमेन्ट्स, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग,
नई दिल्ली।

विषय: ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-8बी/जी0एच0-5 व 6 वृन्दावन योजना, लखनऊ के सापेक्ष आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित मानचित्र निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-8बी/जी0एच0-5 व 6 के मानचित्र स्वीकृति सम्बंधी आपके आवेदन के क्रम में प्रकरण को परीक्षणोपरान्त आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक 16-9-2015 में प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कतिपय शर्तों सहित अनुमोदित किया गया है।

समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कराने हेतु मांग पत्र 2611 दिनांक 7-10-2015 एवं संशोधित मांग पत्र सं0 1692/ दिनांक 19-10-2015 को जारी किया गया जिसके अनुपालन में देय शुल्क सहित अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए स्वीकृत मानचित्र निर्गत हेतु आवेदन किया गया है। जिसके क्रम में एतद्वारा अनुमोदित मानचित्र निम्न शर्तों सहित निर्गत किये जाते हैं :-

क- प्रथम चरण के मानचित्र स्वीकृति के अनुसार स्थल पर निर्माण सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही स्थल पर अनुवर्ती तलों पर निर्माण अनुमन्य किया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों सहित मानचित्र निर्गत किया जा रहा है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा। वर्तमान में स्थल पर कियान्वयन तकनीकी समिति की बैठक दिनांक-16-9-2015 के अनुमोदन के क्रम में स्थल पर निर्माण किया जाएगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। (दिनांक 3-11-2015 से 2-11-2020 तक)।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. ✓ यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 53656.434 वर्गमी0 (बेसमेंट+भूतल/स्टिल्ट + 12 तल) में से 14379.522 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल (बेसमेंट+भूतल/स्टिल्ट फ्लोर) हेतु 16943.59 वर्गमी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंट एवं स्टिल्ट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु-निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंट एवं उसके ऊपर स्टिल्ट फ्लोर के निर्माण की अनुमति प्रथम चरण में प्रदान की जा रही है।
5. ✓ प्रथम चरण में स्थल पर बेसमेंट एवं उसके ऊपर स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) ही शेष अनुवर्ती तलों पर निर्माण 39276.912 वर्गमी0 हेतु निर्माण की स्वीकृति कालान्तर में सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंगन है।)
6. वर्तमान में भूखण्ड पर विभिन्न चरणों में कुल 336 इकाईयों निर्मित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष निर्गत शासनादेश सं0 3188/8-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05-12-2013 के अनुसार दुर्बल आय वर्ग हेतु कुल प्रस्तावित इकाईयों का 10 प्रतिशत के अनुसार 34 इकाईयों व अल्प आय वर्ग हेतु कुल प्रस्तावित इकाईयों का 10 प्रतिशत के अनुसार 34 इकाईयों के निर्माण हेतु सेल्टर फीस के मद में रू0 2,16,72,000/- परिषद खाते में जमा किया गया है।
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-19, उ0प्रा0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-19 व उप आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना द्वारा स्थल पर निर्माण उसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि सम्बंधित द्वारा प्रश्नगत भूमि के सापेक्ष परिषद को देय भुगतान का समयानुसार अद्यतन किया जा रहा हो। यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
8. संयुक्त निदेशक, उ0प्रा0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक संख्या अ-49/डी0डी0/फा0एस0/लखनऊ दिनांक 18-3-2015 द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय उपनिदेशक उ0प्रा0 फायर सर्विसेज लखनऊ/मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. प्रश्नगत भूखण्ड के सापेक्ष पूर्व में व्यवसायिक निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र एतद्वारा निरस्त किया जाता है, जिसे मूलरूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा।